संख्या 609 /उन्तीस (2)/09–2(14पे0)/2008

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 जून, 2009

विषय : राज्य योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में रिसावदार कुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 171/उन्तीस(2)/ 09–22(14पे0)/2008 दिनांक 24.03.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के 10 जनपदों हेतु कुल 100 इन्फिल्ट्रेशन वैल टाइप हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 96.76 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 53.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अवशेष धनराशि रू0 43.39 लाख (रूपये तेतालीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नशर्तानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एव महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. स्वीकृत किये जा रहे रिसावदार कुओं के निर्माण के लिए स्थल चयन करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो।

4. उक्त रिसावदार कुओं का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में ही किया जायेगा जहॉ सड़के नहीं है और हैण्डपम्प नहीं लगाये जा सकते है। विभाग इस हेतु आवश्यक मानक आदि बनाकर प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चयन करने के बाद उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन लेकर ही स्वीकृति की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण करेंगे।

5. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तराखण्ड शासन के वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जेज के रुप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

.................2

6. कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। स्वीकृत कार्य के विपरित भुगतान कार्य की वास्तविक आय के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

9. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

10. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11. निर्माण सामग्री क्रय रिसावदार कुओं का निर्माण करने से पूर्व एवं कार्य करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के समस्त नियमों का मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय और उक्तानुसार टैण्डर में चयनित निर्माण एजेन्सी द्वारा ही उक्त कार्य निष्पादित किया जायेगा।

12. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

13. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

14. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत- 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-04-जल श्रोतो का रखरखाव तथा पुर्नजीवन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 29/XXVII (2)/2009 दिनांक 02 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

पृ0सं0 609(i)/उन्तीस (2)/09-2(14पे0)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

..............3

2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ।
3. जिलाधिकारी, टिहरी / पौडी / रूद्रप्रयाग / अल्मोड़ा / नैनीताल एवं पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2 / वित्त (बजट सैल) / नियोजन प्रकोष्ठ।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव